मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 54
02.02.2023 को उत्तर के लिए

राजस्थान में विलुप्त वन्यजीव प्रजातियां

54. श्री नीरज डांगी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में वन्यजीव प्रजातियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है;
(ख) यदि हां, तो इन विलुप्त हुई वन्यजीव प्रजातियों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा इन विलुप्त हुई वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और ये कदम कितने प्रभावी सिद्ध हुए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) जैसा कि राजस्थान राज्य द्वारा सूचित किया गया है, पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में वन्यजीव प्रजातियों की संख्या में निरंतर कमी आने का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

(ग) वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

(i) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके प्रावधानों के उल्लंघन पर कठोर दण्ड का प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध/अपराधों के लिए काम में आने वाले उपकरणों, वाहनों या हथियारों को भी जब्त करने का प्रावधान है। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-। में बाघ, हिम तेंदुआ, ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड, गंगा की डॉल्फिन, डुंगोग जैसी भारत में पाई जाने वाली दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है ताकि इनको बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(ii) संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावासों को शामिल करते हुए देश में संरक्षित क्षेत्र, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं।

(iii) वन्यजीवों के बेहतर संरक्षण और पर्यावास में सुधार हेतु ''वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) पारिस्थितिकी-विकास गतिविधियों के माध्यम से संरक्षण उपायों में स्थानीय समुदाय शामिल किया जाता है जो वन्यजीवों के संरक्षण में वन विभागों की मदद करते हैं।

(v) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) वन्यजीवों और वन्यजीवों के अंगों के अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

(vi) डब्ल्यूसीसीबी द्वारा संबंधित राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को वन्यजीवों के अवैध शिकार एवं अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए चेतावनियां और परामर्शिकाएं जारी की गई थीं।

*****